न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 15/2018

1. रामकुवार पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी काचरिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा कनेईकलां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 125 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1390रकबा 4.05 हैं0 भूमि प्रार्थी की स्वअर्जित खरीदशुदा आराजीयात हैं। उक्त आराजी प्रार्थी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से खरीद किया जिसका नामान्तकरण सं. 116 दिनांक 16.04.91 को प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया जो सही है। जिसका वर्तमान जमाबंदी में अंकन करते समय सहवनवश रामकुवार पुत्र राधाकिशन जाति जाट के स्थान पर राजकुमार पुत्र राधाकिशन कौम जाट बतौर सहखातेदार दर्ज कर दिया गया जो गलत है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालतःन्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत कनेईकलां में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। लोक अदालत बैंच सदस्यों के समक्ष अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को स्वीकारते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. स्वीकार योग्य ठहराया। प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानते हुए प्रकरण निस्तारित करने का निवेदन किया। उपस्थित बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया तो पाया कि प्रश्नगत आराजीयात पर रामकुवार पुत्र राधाकिशन जाट का नाम राजस्व अभिलेख में विधिक रूप से पारित जरिये नामान्तकरण सं. 116 दिनांक 16.04.91 द्वारा दर्ज किया गया हैं जिसके पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में रामकुवार पुत्र राधाकिशन जाति जाट के स्थान पर राजकुमार पुत्र राधाकिशन जाति जाट दर्ज कर दिया गया जो नियम विरूद्ध हैं। बैंच सदस्यों द्वारा शिविर में उपस्थित जससमुदाय से रायशुमारी कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा कनेईकलां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 125 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1390 रकबा 4.05 हैं0 भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज राजकुमार पुत्र राधाकिशन जाति जाट के स्थान पर रामकुवार पुत्र राधाकिशन जाति जाट बतौर सहखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए जाते है एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 02.05.2018 राजस्व लोक अदालत शिविर मे सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.28 14:28:20 IST
Reason: SelfAttested